

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ला दीवानी )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी (आर.ए.एस)

अनवर बनाम अनिलसिंह आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

एव स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:- /2019

निर्णय

निर्णय दिनांक 5-1-2021

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक...27.2.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार मलसीसर के निर्देशित किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुये वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत् खाता विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू.अ./2020/ 688 दिनांक...19-5-2020 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। तहसीलदार मलसीसर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम निर्णय किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शा अन्तिम निर्णय का भाग रहेगा।

निज .....मुबलिक .....दाबन.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .....फसीदी आज की तारीख से तारीख तक .....को अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर से अदालत से आज तारीख माह सन् को जारी की गई।



  
(शकुन्तला चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
मलसीसर